उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या-1/2019/89/तीन-2019-39(2)/2016

लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2019

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति संख्या-846/तीन-2018-39(2)- 2016, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सार्वजनिक अवकाशों की सूची में कुम्भ स्नान के दृष्टिगत माघ पूर्णिमा दिनांक 19 फरवरी, 2019 (दिन मंगलवार) को सम्मिलित करते हुए तथा उक्त विज्ञप्ति के प्रस्तर-3 के निर्बन्धित अवकाशों की सूची में उल्लिखित सन्त रविदास जयन्ती दिनांक 19 फरवरी, 2019 को प्रस्तर-2 में सम्मिलित करते हुए दिनांक 19 फरवरी, 2019 (दिन मंगलवार) (निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

2- उक्त विज्ञप्ति दिनांक 27 नवम्बर, 2018 का प्रस्तर-2 एवं 3 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-89(1)/तीन-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 न्यायालय आवश्यक समझे।
8- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0), उ0प्र0 शासन।
9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
11- उप सचिव एवं संयुक्त निदेशक, प्रकाशन, उ0प्र0 शासन।
12- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति से अपने मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
13- समस्त विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14- कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी।
15- तकनीकी निदेशक, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (उ0प्र0 राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु।
16- क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमतीनगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
(भैरव नाथ शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in